राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.18(12)नविवि/जयपुर/2018 पार्ट जयपुर,दिनांक 09 JAN 2020

आदेश

1.0 राज्य के नगरीय क्षेत्रों में पर्यटन इकाई यथा होटल, मोटल, रिसोर्ट आदि भवनों की स्वीकृति हेतु एकीकृत भवन विनियम–2017 में भू–खण्ड पर पहुँच मार्ग बड़े शहरों में न्यूनतम 18 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 15 मीटर चौडी सड़क पर स्थित होने का प्रावधान निर्धारित है।

2.0 राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न नगरीय निकायों, होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा अवगत् कराया गया है कि विभिन्न शहरों में पर्यटन इकाई हेतु प्रस्तावित स्थल चौड़ी सड़को पर सीधे स्थित नहीं होकर इन चौडी सड़को से कुछ आंतरिक दूरी पर स्थित होते है तथा इनको पहुँच मार्ग इन आंतरिक अल्प लम्बाई की सड़को से प्राप्त होता है। इन आंतरिक अल्प लम्बाई की सड़को की चौडाई 18 मीटर/15 मीटर नहीं होने तथा दोनो ओर निर्माण होने के कारण इनको चौड़ा किया जाना भी संभव नहीं होने के कारण, इन अल्प लम्बाई की आंतरिक सड़को पर स्थित भूखण्डों पर पर्यटन इकाई की स्वीकृति नहीं मिल पाती है।

3.0 पर्यटन व्यवसाय राज्य की एक प्रमुख गतिविधि है एवं राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु पर्यटन नीति के तहत् विभिन्न छूट भी प्रदान की गई है।

4.0 **अतः ऐसे प्रकरणों में प्रकरण विशेष के अन्तर्गत प्रस्तावित इकाई में कितना निवेश किया जाएगा तथा कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा को ध्यान में रखते हुए** व्यापक जनहित में राज्य सरकार द्वारा प्रकरण विशेष में निम्न प्रावधानों की पूर्ति होने पर स्वीकृति दी जा सकेगी :–

1. प्रमुख चौडी सड़क (बडे शहरों में 18 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 15 मीटर चौड़ाई) से न्यूनतम 12.0 मीटर पहुँच मार्ग उपलब्ध है।
2. भू–खण्ड एवं प्रमुख सड़क के मध्य की दूरी (पहुँच मार्ग की लम्बाई) 250 मीटर से अधिक नहीं हो।
3. पहुँच मार्ग, प्रमुख चौडी सड़क से प्रारम्भ होकर पर्यटन इकाई स्थल पर समाप्त हो अथवा प्रमुख चौडी सड़क (बडे शहरों में 18 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 15 मीटर चौडाई) से मिलता हो।
4. पर्यटन इकाई भू–खण्ड के सामने भू–खण्ड में से भू–खण्ड के अग्र भाग के समानान्तर 18 मीटर/15 मीटर सड़क हेतु भूमि निःशुल्क समर्पित की जावें।
5. भू–खण्ड पर भवन की अधिकतम ऊँचाई व अन्य मापदण्ड पहुँच मार्ग की चौडाई के अनुरूप ही देय होगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. ~~वरिष्ठ~~ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम
9/11/20